

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) राजन भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

लक्ष्मण शिखरी केवल राजप डिजाइन अनुमति  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 315 दिनांक 16/09/2020

प्राथमिक निरीक्षण असेसमेंट एवं शीमटी मापना असेसमेंट

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 59 (व्यव) 2020

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3000/- जमा

जारीय रसीद संख्या 2069/5397, 5398

दिनांक 16/09/2020 को जमा करा दी है ।

17/9/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

13/9/2020  
8112249389